न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2014 (उदयपुर आर्डर)

1. नाथु पिता मोहन जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पेमा पिता मोहन जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा – 76
राज. भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध
निणय जिला कलक्टर उदयपुर दि0
13–01–2014 प्रकरण सं0 4/2012

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मावली द्वारा अपने प्रकरण संख्या 183/2011 निर्णय दिनांक 24–01–2012 से ग्राम लोपडा की आराजी नंबर 407 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा मानते हुए उसके विरूद्ध बेदखली एवं फसल नीलामी का आदेश दिया।

तहसीलदार मावली के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–01–2014 से अपील खारिज कर दी।

जिला कलक्टर उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13–01–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 11–03–2014 को प्रस्तुत की।

अपील अन्दर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनकी ओर से राजकीय

अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया बिलानाम भूमि पर अपना 25 वर्षो का कब्जा बताते हुए भूमि को नियमन योग्य बताया तथा उपरोक्त आधार पर अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने की प्रार्थना की।

वहीं विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एंव विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट नाजायज कब्जे के आधार पर भूमि नियमन योग्य बताता है तथा तहसीलदार द्वारा की गयी बेदखली की कार्यवाही एवं फसल नीलामी के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताता है। हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्ट मात्र अतिकमी है तथा उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही किये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा कब्जा नहीं छोड़े जाने के कारण तहसीलदार मावली द्वारा बेदखली एवं फसल नीलामी का आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है तथा तहसीलदार मावली के आदेश को जिला कलक्टर द्वारा भी उभयपक्षों को सुनने के बाद यथावत रखते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज की गयी, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 13–01–2014 एवं तहसीलदार, मावली का निर्णय दिनांक 24–01–2012 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर